न्यायालय अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर
पीठासीन अधिकारी सुरेन्द्र सिंह पुरोहित (आर.ए.एस.)

राजस्व अपील सं. :– 54/2024

जीसीएमएस नम्बर :– 2025/48

अपीलार्थी :–

खेत कंवर पुत्री स्व. श्री भैरूसिंह, पत्नी श्री धनसिंह, जाति–राजपूत, निवासी–शिकारपुरा, तहसील–लूणी, जिला–जोधपुर।

बनाम्

प्रत्यर्थीगण :–

1. उदयसिंह पुत्र श्री भोमसिंह, जाति–राजपूत, निवासी–ओसियां, तहसील–ओसियां, जिला–जोधपुर।

परफोर्मा प्रत्यर्थीगण :–

2. मुकन्दसिंह पुत्र स्व. श्री शक्तिसिंह, जाति–राजपूत, निवासी–ओसियां, तहसील–ओसियां, जिला–जोधपुर
3. पुष्प कंवर पुत्री स्व. श्री भोमसिंह, पत्नी श्री लक्ष्मण सिंह, जाति–राजपूत, निवासी–सम्बाड़िया, तहसील–बिलाडा, जिला जोधपुर।
4. बीनु उर्फ बिन्दु कंवर पुत्री स्व. श्री भोमसिंह, पत्नी श्री सुल्तान सिंह, निवासी–नोखा चांदावता, तहसील मेडता, जिला नागौर, हाल निवासी– हाउस नम्बर–618, ए/2, हनुवंत–ए. बी.जे.एस. कॉलोनी, जोधपुर।
5. गोपाल सिंह पुत्र स्व. श्री हमीर सिंह,
6. आसु सिंह पुत्र स्व. श्री हमीर सिंह,
7. ईश्वर सिंह पुत्र स्व. श्री हमीर सिंह,
8. रामसिंह पुत्र स्व. श्री हमीर सिंह,
9. अनोप कंवर पुत्री स्व. श्री गिरधारी सिंह,
10. ओमसिंह पुत्र स्व. श्री गिरधारी सिंह,
11. किशोर सिंह पुत्र स्व. श्री गिरधारी सिंह,
12. मंगल सिंह पुत्र स्व. श्री गिरधारी सिंह,
13. श्याम सिंह पुत्र स्व. श्री गिरधारी सिंह,

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर

14. हंस कंवर पत्नी स्व. श्री गिरधारी सिंह, फात

15. उम्मेद कंवर पत्नी श्री किशोर सिंह,

16. सीता कंवर पत्नी श्री ओम सिंह,

17. रिन्कु कंवर पत्नी श्री बुद्धसिंह, सभी जातियान–राजपूत, निवासीयान– ओसियां, तहसील ओसियां, जिला जोधपुर

18. रिन्कु कंवर पत्नी श्री बुद्धसिंह, सभी जातियान–राजपूत, निवासीयान– ओसियां, तहसील ओसियां, जिला जोधपुर

19. अचल कंवर पुत्री स्व. श्री भेरूसिंह पत्नी श्री किशन सिंह, जाति–राजपूत, निवासी– घंटियाली, तहसील बाप, जिला जोधपुर।

20. मोहम्मद सुलेमान पुत्र श्री निजामुद्दीन, जाति–तेली, निवासी–ओसियां, तहसील ओसियां, जिला जोधपुर।

21. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार ओसियां, तहसील ओसिंया, जिला जोधपुर।

बरखिलाफ नामान्तरकरण आदेश संख्या 160 दिनांक 11.06.1984 पारित तहसीलदार औसिया जिला जोधपुर।

– : : आदेश : : – दिनांक : 02/2/26

उपस्थिति :–

1. श्री अजीत दैया अधिवक्ता अपीलार्थीया की ओर से।
2. श्री नवरतनदान, अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण सं. 01

अपीलार्थीया की ओर से एक अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम के तहत तहसीलदार औसिया द्वारा पारित नामान्तरकरण आदेश संख्या 160 दिनांक 11.06.1984 के विरूद्ध प्रस्तुत की है जिसके तथ्य सक्षेंप में इस प्रकार से है कि अपीलार्थीया एवं प्रत्यर्थीगण संख्या–01 ता 19 स्व. श्री मदनसिंह के सजरा खानदान के वंशज है तथा श्री मदनसिंह जी का स्वर्गवास हो चुका है अपीलार्थीया एवं प्रत्यर्थीगण संख्या 18 व 19 के पिता स्वर्गीय भेरूसिंह तथा प्रत्यर्थीगण संख्या–01 ता 17 के स्वर्गीय पिता/पति की पुश्तैनी संयुक्त खातेदारी की, कब्जा काश्तसुदा कृषि भूमि खेत खसरा संख्या–502 रकबा 03 बीघा 12 बिस्वा, खसरा संख्या–527 रकबा 01 बीघा 06 बिस्वा, खसरा संख्या–501 रकबा 10 बिस्वा, खसरा संख्या–599 रकबा 13 बीघा 16 बिस्वा, खसरा संख्या–525 रकबा 04 बीघा 04 बिस्वा, खसरा संख्या–213 रकबा 115 बीघा 10 बिस्वा, खसरा संख्या–498 रकबा 06 बिस्वा किस्म गैर मुमकिन ढाणी, खसरा संख्या–499 रकबा 13 बीघा 16 बिस्वा वाके ग्राम हरीपुरा, पटवार हल्का ओसियां, भू. अभि.नि. क्षेत्र ओसियां, तहसील ओसियां, जिला जोधपुर में स्थित है। उपरोक्त वर्णित

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर

विवादित कृषि भूमि राजस्व रिकॉर्ड में अपीलार्थीया एवं प्रत्यर्थी संख्या–18 व 19 के पिता स्व. श्री भेरूसिंह व उनके भाईयों भोमसिंह, हमीरसिंह, मेघसिंह व गिरधर सिंह पुत्रान् स्व. श्री मदनसिंह के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद है। जिसमें अपीलार्थीया व प्रत्यर्थी संख्या 18 व 19 के पिता स्व. भेरूसिंह का 1/5 हिस्सा निहित था, जो कि राजस्व रिकॉर्ड से भी स्पष्ट है। उपरोक्त वर्णित संयुक्त खातेदारी की, कब्जा काश्तसुदा कृषि भूमि में 1/5 के हिस्सेदार मेघसिंह लाऔलाद फौत हो चुके है तथा अपीलार्थीया एवं प्रत्यर्थी संख्या–18 व 19 के पिता भेरूसिंह का भी स्वर्गवास हो चुका है, जिसके पश्चात् स्व. भेरूसिंह के हक, हिस्से एवं अधिकार की 1/5 कृषि भूमि में उनके विधिक वारिसान के रूप में केवलमात्र अपीलार्थीया एवं प्रत्यर्थी संख्या–18 व 19 ही उनकी जायंदा पुत्रियां होने के कारण, हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत स्व. भेरूसिंह के 1/5 हिस्से की कृषि भूमि उनके नाम से राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद होनी चाहिए थी, परन्तु प्रत्यर्थी संख्या–01 उदयसिंह पुत्र भोमसिंह ने अपीलार्थीया व प्रत्यर्थी संख्या–18 व 19 के पिता स्व. भेरूसिंह के हिस्से की 1/5 कृषि भूमि हड़प करने की गरज से, राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगत करते हुए. बाले–बाले गुपचुप तरीके से विवादित कृषि भूमि राजस्व रिकॉर्ड में अपीलार्थीया व प्रत्यर्थी संख्या 18 व 19 के स्थान पर कूटरचित तरीके से तथा झूठे कथन कर अपने नाम अमलदरामद करवा दी। विवादित कृषि भूमि को राजस्व कर्मचारियों ने उदयसिंह जो कि स्व. श्री भोमसिंह का पुत्र तथा अपीलार्थीया तथा प्रत्यर्थी संख्या–18 व 19 के पिता स्व. श्री भेरूसिंह का भतीजा है, के नाम बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये तथा बिना स्वर्गीय भेरूसिंह के प्रथम श्रेणी के वारिसान् को सुनवाई का अवसर प्रदान किये, राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद कर दी, जो नामान्तरकरण विधि विरूद्ध तथा हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत गैर कानूनी होने से निरस्त किये जाने योग्य है, जिससे व्यथित होकर अपीलार्थीया द्वारा यह अपील निम्न आधारों पर प्रस्तुत की जा रही है:–

1. प्रत्यर्थी संख्या–21 तहसीलदार ओसियां द्वारा आलौच्य नामान्तरकरण स्वीकार करने में घोर विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि कारित की गई है।
2. अपीलार्थीया ने अपने पिता स्व. भेरूसिंह के हिस्से की 1/5 कृषि भूमि में से अपना हिस्सा नहीं लेने बाबत् कभी कोई कथन प्रत्यर्थी संख्या–01 उदयसिंह तथा प्रत्यर्थी संख्या–21 तहसीलदार ओसियां के समक्ष न ही उक्त नामान्तरकण्ण पारित करने से पूर्व अपीलार्थीया को तहसीलदार ओंसिया द्वारा कोई सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किया गया है, जबकि नामान्तरकण प्रक्रिया मे सर्वप्रथम मीटिंग तय होती था उसमे प्रस्ताव लिया जाता है तथा आपतिया मांगी जाती है, साथ ही सम्बंधित खातेदारान तथा विधिक वारिसान को जरिये नोटिस सूचित किया जाता

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर

है तथा नोटिस चस्पा किया जाता है, परन्तु उक्त आलौच्य नामान्तरकरण बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये प्रत्यर्थी संख्या–01 उदयसिंह द्वारा राजस्व कर्मचारियों से आपसी मिलावट करते हुए अविधिक रूप से वाले–वाले ही पारित कर दिया गया है, इस कारण उक्त आलौच्य नामान्तरकरण अपास्त व निरस्त किये जाने योग्य है।

3. यह कि आलौच्य नामान्तरकरण अपीलार्थीया को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किये बिना ही, एकपक्षीय पारित किया गया है, जो आदेश नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने के कारण भी पूर्ण रूप से अपास्त व निरस्त किये जाने योग्य है।

अपील को दर्ज रजिस्टर किया गया । रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री नवरतन चारण ने वकालतनामा पेश किया तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 5 से 13 व 15 से 17, 20 व 21 नोटिस तामिल होने के बावजूद उपस्थित होने पर इनकी अनुपस्थिति दर्ज की गई। रेस्पोडेन्ट संख्या 18 व 19 के नोटिस अखबार में साया करवाने के बावजूद भी उपस्थित नहीं आए। अतः रेस्पोडेन्ट संख्या 18 व 19 की अनुपस्थिति दर्ज की गई। वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने जवाब न देकर सीधे ही बहस हेतु निवेदन किया। अतः वकील अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की बहस सुनी गई।

दौराने बहस अपीलान्टस् अधिवक्ता ने निम्न न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये :–

1. 2024 INS 980 (S.C.) Division Bench
2. 2018 (1) RRT 188 RHC Jaipur
3. 2023 S.C. S.B. Civil Revision Petition No. 23 of 2022

रेस्पोडेन्ट्स अधिवक्ता ने निम्न न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये :–

1. भू–राजस्व अधिनियम, 1956
2. RRT 2020 (1) Page No. 204
3. CCC 2021 (2) Page No. 663
4. RRT 2007 (2) Page No. 939
5. RRT 2025 (2) Page No. 1061
6. RRT 2006 (1) Page No. 383
7. AIR 1997 Page No. 2774 Para B

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर

8. AIR 1993 Page No. 1245 Para C

9. RRT (2) Page No. 2010 Page No. 1222

10. RRT 2019 (1) Page No. 648

11. RRT 2003 (3) Page No. 1176

12. RRD 2005 (1) Page No. 539

13. RRT 2004 (1) Page No. 368

अपील हमने पत्रावली मय संलग्न दस्तावेजात् का अवलोकन किया। संगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन किया। अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत का अपील के निर्धारण में सम्मानपूर्वक अवलोकन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर उपरोक्त अपील का निर्धारण निम्नानुसार किया जा रहा है :–

अपीलार्थीया की ओर से एक अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम के तहत तहसीलदार औसिया द्वारा पारित नामान्तरकरण आदेश संख्या 160 दिनांक 11.06.1984 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। दौराने बहस अपीलार्थीया अधिवक्ता द्वारा यह कथन किये गये कि "अपीलाधीन आदेश जारी करने से पूर्व अपीलार्थीया को तहसीलदार औसिया द्वारा सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना ही उक्त अपीलाधीन आदेश पारित किया गया साथ ही प्रत्यर्थी संख्या 01 ने राजस्व कर्मियों से मिली–भगत कर अपीलार्थीया का नोटिस बिना तामिल करवाये ही बाले बाले ही उक्त अपीलाधीन आदेश पारित करवा दिया गया जो कि विधि विरूद्ध होने से अपास्त किये जाने योग्य है। जिसके संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये।"

अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण ने दौराने बहस कथन किये कि "अपीलार्थीया द्वारा उक्त अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध अपील 41 वर्ष पश्चात् माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है। जो कि म्याद बाहर होने से खारिज किये जाने योग्य है। साथ ही वर्ष 1971 में एक वसीयतनामा भैरूसिंह बहक उदयसिंह का प्रस्तुत किया जिसमें भैरूसिंह द्वारा स्वर्गवास पश्चात् समस्त भूमि उदयसिंह के नाम किये जाने का उल्लेख किया। इसके अतिरिक्त अपीलार्थीया द्वारा एक राजस्व वाद बहक खेतकंवर बनाम् उदयसिंह माननीय न्यायायल सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी औसिंया में विचाराधीन है। विधि अनुसार जब तक उक्त विचाराधीन वाद का निर्णय नहीं हो जाता तब तक अपीलार्थीया द्वारा उक्त अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत नही की जा

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर

सकती। इस प्रकार अपीलार्थीया की अपील विधि विरूद्ध होने से अपास्त किये जाने योग्य है।"

न्यायालय विवेचन अनुसार अपीलान्ट के पिता स्व. भैरू सिंह के फौत हो जाने के पश्चात अपीलान्ट के भतीजे एवं अपीलान्ट के चाचाओं ने राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगत करके अपीलान्ट के पिता स्व. भैरू सिंह की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि के सम्बन्ध में दो पृथक–पृथक नामान्तरकरण पारित करवाये जिसमें दिनांक 21.07.1983 को वसीयतनामा के आधार पर नामान्तरकरण पारित करवाया गया, तथा दुसरा नामान्तरकरण दिनांक 04.06.1984 को पारित करवाया गया, जिसमें राजस्व कर्मचारियों द्वारा दो नोट लगाये गये, पहला तो यह कि, भैरू सिंह व भूर सिंह फौत हो चुके है, उनके जायन्दा पुत्र न होने पर उनके वारिस सगे भाईयों के नाम तस्दीक किया गया तथा इसी नामान्तरकरण में राजस्व कर्मचारियों द्वारा दुसरा नोट यह लगाया कि, भैरू सिंह पुत्र श्री मदन सिंह व भूर सिंह पुत्र श्री सोहन सिंह फौत हो चुके है, भूर सिंह अविवाहित थे, भैरू सिंह जी के कोई पुत्र नही है, पुत्रियां शादीसुदा है, वो हक लेना नही चाहती, अतः उनके भाईयों के नाम नामान्तरकरण पारित किया जाता है। इस स्थिति में यह स्पष्ट है कि, एक ही व्यक्ति की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि के सम्बन्ध में दो पृथक–पृथक नामान्तरकरण दो पृथक–पृथक नोट लगाकर पारित किया जाना रेस्पोडेन्ट व उनके पूर्वजों तथा राजस्व कर्मचारियों की आपसी मिलीभगत को दर्शाता है। उक्त आलौच्य नामान्तरकरण में अंकित नोट से यह साबित होता है कि, अपीलान्ट ने अपना हिस्सा नही लेने के लिए किसी भी प्रकार का कोई हकतर्कनामा अथवा कोई बख्शीशनामा रेस्पोडेन्ट अथवा उनके पूर्वजों के पक्ष में निष्पादित किया है। बिना किसी हकतर्कनामें अथवा बख्शीशनामें केवलमात्र किसी अन्य व्यक्तियों के कहने मात्र से अपीलान्ट का अपने स्व. पिता की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि में से हक, हिस्सा एवं अधिकार स्वतः ही समाप्त नही हो जाता है। उक्त आलौच्य नामान्तरकरण बिना अपीलान्ट को सूचना दिये एवं बिना नामान्तरकरण की प्रक्रिया अपनाये पारित किया गया होने से शून्य आदेश की श्रेणी में आता है, जिस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित विभिन्न न्यायिक निर्णयों के अनुसार शून्य आदेश पर म्याद विधि लागू नही होती है तथा ऐसे शून्य आदेश को निरस्त करवाने हेतु सक्षम न्यायालय में कभी भी चुनौती दी जा सकती है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित विभिन्न न्यायिक निर्णयों में यह मत प्रतिपादित किया गया है कि, एक पुत्री का अपने पिता की सम्पत्ति में जन्म से ही अधिकार होता है, जिसे वह केवल हकतर्कनामा अथवा बख्शीशनामा के जरिये त्याग कर सकती है तथा इसके पश्चात ही एक पुत्री को उसके पिता की सम्पत्ति में उसके हक से वंचित किया

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर

जा सकता है। जबकि अपीलान्ट ने अपने पिता की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि में अपने हक के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का कोई हकतर्कनामा अथवा कोई बख्शीशनामा किसी भी व्यक्ति के पक्ष में निष्पादित नही किया है, जिस कारण उक्त आलौच्य नामान्तरकरण जो कि अपीलान्ट के स्व. पिता भैरू सिंह के भाईयों के नाम पारित किया गया है, निरस्त किये जाने योग्य है। अपील में रेस्पोडेन्ट संख्या–21 तहसीलदार, ओसियां के अलावा अन्य 20 रेस्पोडेन्ट्स है, जिन्हें सभी को विधिवत नोटिस तामील करवाये जा चुकें है, जिसमें केवलमात्र रेस्पोडेन्ट संख्या–1 उदय सिंह की ओर से अधिवक्ता उपस्थित हुए है, इससे भी यह स्पष्ट है कि, अपीलान्ट के अपने स्व. पिता भैरू सिंह की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि में अपीलान्ट के हक, हिस्से एवं अधिकार को लेकर रेस्पोडेन्ट संख्या–1 उदय सिंह के अलावा किसी को कोई उजर एतराज नही है तथा उक्त अन्य सभी रेस्पोडेन्ट्स की अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील के सम्बन्ध में मौन स्वीकृति है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम तथा सिविल प्रक्रिया संहिता में यह कोई प्रावधान नही है कि, दावा बाबत् खातेदारी घोषणा एवं राजस्व अपील एक साथ प्रस्तुत नही किये जा सकते है। चूंकि उक्त दोनों कार्यवाहियां पृथक–पृथक होने तथा पृथक–पृथक अधिनियम से शासित होने के कारण विधि द्वारा बाधित नहीं है। अतः अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट का उक्त कथन काबिले गौर नही है। सर्वोच्च न्यायालय एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने अपने विभिन्न न्यायिक निर्णयों में यह मत प्रतिपादित किया है कि, संयुक्त हिन्दु परिवार की पैतृक सम्पत्ति के सम्बन्ध में प्रतिकूल कब्जें का सिद्धान्त लागू नही होता है। इस कारण अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट का उक्त कथन भी काबिले गौर नही है। अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने विवादित संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि के विधिवत बंटवाडे का कोई दस्तावेज माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नही किया है, जिस कारण भी अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट का उक्त संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि के बंटवाड़ा हो जाने का कथन भी काबिलें गौर नहीं है। माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपील में अपीलाधीन नामान्तरकरण आदेश चूंकि वसीयतनामा के आधार पर पारित नहीं किया गया है, जिस कारण अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत वसीयतनामा उक्त अपील के सम्बन्ध में काबिले गौर नही है। इसके अलावा माननीय राजस्व मण्डल ने अपने न्यायिक निर्णय में यह स्पष्ट मत प्रतिपादित किया है कि, कोई नामान्तरकरण आदेश अनरजिस्टर्ड वसीयतनामा के आधार पर पारित नही किया जा सकता है, यदि कोई नामान्तरकरण आदेश किसी अनरजिस्टर्ड वसीयतनामा के आधार पर पारित किया गया है तो, वह विधि–विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उक्त अपील में अपीलाधीन नामान्तरकरण आदेश किसी भी प्रकार के वसीयतनामा के आधार पर पारित नहीं किया जाकर अपीलान्ट के चाचाओं के

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर

मिथ्या एवं मनगढंत मौखिक कथनों के आधार पर पारित किया गया है, जिस कारण उक्त अपील में प्रस्तुत किसी भी प्रकार का वसीयतनामा सारहीन है।

: : आदेश : :

हमने प्रस्तुत अपील एवं वकुलाय की बहस एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। अपील का निस्तारण करने से पूर्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते है। अपीलान्ट अधिवक्ता द्वारा अपील पेश करने में हुई देरी के जो कारण बतलाए गए है वह सद्भाविक होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर तहसीलदार, ओसियां द्वारा पारित नामान्तरकरण आदेश संख्या–160, दिनांक 04.06.1984 को निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण तहसीलदार ओसिंया को रिमाण्ड किया जाकर आदेशित किया जाता है कि उपरोक्त प्रकरण में अपीलांट का व उसके पिता स्व. भैरू सिंह व लाऔलाद फौत चाचा मेघ सिंह के समस्त विधिक वारिसानों को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए नियमानुसार कार्यवाही करे। मूल रिकॉर्ड पुनः अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार को लौटाया जाता है। आदेश की पालना हेतु तहरीर जारी हो।

(सुरेन्द्र सिंह पुरोहित)
अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
(द्वितीय) जोधपुर

आदेश आज दिनांक 02/2/26 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(सुरेन्द्र सिंह पुरोहित)
अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
(द्वितीय) जोधपुर